महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर

विद्या परिषद् की 50वीं बैठक

कार्यवृत्त (Minutes)

विद्या परिषद् की 50वीं बैठक दिनांक 04 अप्रैल, 2015 को अपरान्ह् 2.00 बजे बृहस्पति भवन स्थित सभागार में आयोजित हुई, जिसमें निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए :-

1.	प्रो. कैलाश सोडाणी कुलपति, महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर	अध्यक्ष
2.	प्रो. एस. पालरिया संकायाध्यक्ष, कॉलेज एवं विभागाध्यक्ष, रिमोट सेंसिंग एण्ड जियोइन्फोरमेटिक्स विभाग, म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर	सदस्य
3.	प्रो. लक्ष्मी ठाकुर, विभागाध्यक्ष-जनसंख्या अध्ययन विभाग, म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर	सदस्य
4.	प्रो. मनोज कुमार, संकायाध्यक्ष-प्रबन्ध अध्ययन संकाय एवं विभागाध्यक्ष-प्रबन्ध अध्ययन विभाग, म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर	सदस्य
5.	प्रो. जी.के.कोहली, संकायाध्यक्ष-स्नातकोत्तर अध्ययन एवं विभागाध्यक्ष-खाद्य विज्ञान एवं पोषण विभाग, म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर	सदस्य
6.	प्रो. बी.पी. सारस्वत, संकायाध्यक्ष-वाणिज्य संकाय एवं विभागाध्यक्ष-वाणिज्य विभाग, म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर	सदस्य
7.	प्रो. सतीश अग्रवाल, संकायाध्यक्ष-महाविद्यालय, म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर	सदस्य
8.	प्रो. वी.के. कांकरिया, संकायाध्यक्ष-शिक्षा संकाय एवं प्राचार्य क्षेत्रीय शिक्षण संस्थान, अजमेर	सदस्य
9.	डॉ. प्रवीण माथुर संकायाध्यक्ष-छात्र कल्याण, म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर	सदस्य

10. डॉ. कृष्णाराम, सदस्य
संकायाध्यक्ष-समाज विज्ञान एवं प्राचार्य,
एम.एल.वी. राजकीय महाविद्यालय,
भीलवाड़ा

11. श्री सुरेश वैष्णव, सदस्य
प्राचार्य,
गायत्री शक्ति पीठ कन्या महाविद्यालय, पुष्कर (अजमेर)

12. कुलसचिव, सदस्य-सचिव
म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर

<u>विशेष आमंत्रितः-</u>

1. डॉ. प्रकाश पंकज, उप कुलसचिव (शैक्षणिक-प्रथम एवं द्वितीय)
2. डॉ. रवीन्द्र भारती, उप कुलसचिव (सा.प्र.)

निम्नलिखित सदस्य बैठक में उपस्थित नहीं हो सकेः-

13. प्रो. एस.एन. सिंह, सदस्य
विभागाध्यक्ष-राजनीति शास्त्र,
म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर

14. अध्यक्ष, सदस्य
माध्यमिक शिक्षा बोर्ड,
राजस्थान, अजमेर

15. आयुक्त, सदस्य
महाविद्यालय शिक्षा, राजस्थान सरकार,
जयपुर

16. श्रीमती दमयन्ती गुप्ता, सदस्य
संकायाध्यक्ष-समाज विज्ञान,
राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर

17. प्रो. जी. सोरल, सदस्य
लेखाशास्त्र एवं सांख्यिकी विभाग,
विश्वविद्यालय वाणिज्य एवं प्रबन्ध अध्ययन महाविद्यालय, उदयपुर

18. प्रो. नरेन्द्र अवस्थी सदस्य
संकायाध्यक्ष- कला, शिक्षा एवं समाज विज्ञान संकाय,
जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर

19. श्री हनुमाना राम ईसरान, सदस्य
प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय,
डीड़वाना (नागौर)

20. श्री दीपक राज महरोत्रा, सदस्य
संकायाध्यक्ष-विज्ञान संकाय एवं प्राचार्य,
राजकीय महाविद्यालय, अजमेर

सर्व प्रथम माननीय कुलपति महोदय ने विद्या परिषद् के सभी सदस्यों का स्वागत किया। तत्पश्चात् विद्या परिषद् की कार्यवाही प्रारम्भ करने हेतु कुलसचिव को निर्देशित किया गया।

मद	विवरण		अनुभाग/विभाग
मद सं. 1	विद्या परिषद् की दिनांक 17.12.14 को सम्पन्न हुई 49वीं बैठक के कार्यवृत्त (Minutes) की पुष्टि करना। उक्त कार्यवृत्त की एक प्रति सभी माननीय सदस्यों को इस कार्यालय के पत्र क्रमांक एफ. 13 (49) शैक्षणिक-I/मदसविवि/2014/243-261 दिनांक 03.01.15 को प्रेषित की गई। प्रबन्ध बोर्ड की बैठक दिनांक 23 दिसम्बर, 2014 के मद संख्या 29 पर विद्या परिषद् की दिनांक 17 दिसम्बर, 2014 को सम्पन्न हुई 49वीं बैठक के कार्यवृत्त पर विचार करते समय प्रबन्ध बोर्ड एवं विद्या परिषद् के सदस्य प्रो. गुलराज कलसी कोहली और प्रो. बी.पी. सारस्वत ने अवगत कराया कि विद्या परिषद् की मद संख्या 16 के निर्णय क्रमांक 20 पर टंकित पर्यटन प्रबन्ध संभवतः त्रुटिवश छप गया है तथा इस संबंध में पत्र भी प्रस्तुत किया है । बोर्ड ने निर्देशित किया कि विद्या परिषद् की 49वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि के समय उक्त सदस्यों के पत्र को विद्या परिषद् के विचारार्थ रखा जावें । प्रबन्ध बोर्ड के उक्त निर्देश के क्रम में उक्त सदस्यों के पत्र **(कार्यसूची का परिशिष्ठ-1)** विचारार्थ प्रस्तुत है।		**शैक्षणिक-I**
निर्णय	**विद्या परिषद् की दिनांक 17.12.14 को सम्पन्न हुई 49वीं बैठक के कार्यवृत्त (Minutes) की पुष्टि निम्नलिखित प्रेक्षणों के साथ की गयीः-** **<u>निर्णय संख्या 7 पर प्रेक्षण</u>ः-** **विद्या परिषद् में स्टेण्डिंग कमेटी की दिनांक 09.04.14 की बैठक की अनुशंषा 03 पर विचार कर शोधार्थी को शोध अवधि में न्यूनतम 02 वर्ष पूर्ण करने के लिए शोध पंजीयन से 06 वर्ष की अवधि से अतिरिक्त समय दिया जाने का विशेष परिस्थिति में निर्णय लिया जो अन्य किसी प्रकरण में दृष्टांत के रूप में विचारणीय नहीं होगा ।** **<u>निर्णय संख्या 10 पर प्रेक्षण</u>ः-** **प्रो. मनोज कुमार के असमर्थता व्यक्त करने पर छात्रों में रोजगारपरक कौशल के विकास हेतु सम्बन्धित विषय विशेषज्ञों की एक दिवसीय कार्यशाला के आयोजन हेतु संकायाध्यक्ष-महाविद्यालय को अधिकृत किया गया । शेष निर्णय यथावत ।**		

	<u>निर्णय संख्या 16 पर प्रेक्षण</u>:- **(क) प्रबन्ध बोर्ड के सदस्यों के पत्र (कार्यसूची का परिशिष्ठ-1) के आधार पर टंकणिक त्रुटि सुधार करते हुए "क्रमांक 20 पर्यटन प्रबन्ध" को विलोपित किया गया तथा " क्रमांक 21" को " क्रमांक 20" पढ़ने का निर्णय किया गया ।** **(ख) प्रो. मनोज कुमार ने दिनांक 04.04.15 को माननीय कुलपति को पत्र लिखकर यह आग्रह किया कि पूर्व में अनुमोदित प्रबन्ध अध्ययन के पेनल के स्थान पर उनके द्वारा दिनांक 24.12.14 को लिखे गये पत्र के साथ संलग्न "प्रबन्ध अध्ययन एवं पर्यटन प्रबन्ध" विषय के विशेषज्ञों के पेनल को स्वीकार किया जाये । विद्या परिषद् ने दिनांक 17.12.2014 को अनुमोदित प्रबन्ध अध्ययन विषय के पेनल के स्थान पर प्रो. मनोज कुमार द्वारा दिनांक 24.12.14 को प्रेषित "प्रबन्ध अध्ययन एवं पर्यटन प्रबन्ध" विषय के पेनल को अनुमोदित किया । उक्त पैनल संस्थापन अनुभाग में संधारित किये जायेंगे ।**		
मद सं. 2	दिनांक 28.06.2013 को सम्पन्न विद्या परिषद् की 47वीं बैठक के कार्यवृत्त पर बिन्दुवार की गई कार्यवाही की अनुपालना रिपोर्ट (Action Taken Report) का अवलोकन कर अनुमोदन करना। **(कार्यसूची का परिशिष्ठ-2)**		**शैक्षणिक-I**
निर्णय	**अनुमोदन किया।**		
मद सं. 3	दिनांक 26.12.2013 को सम्पन्न विद्या परिषद् की 48 वीं बैठक के कार्यवृत्त पर बिन्दुवार की गई कार्यवाही की अनुपालना रिपोर्ट (Action Taken Report) का अवलोकन कर अनुमोदन करना। **(कार्यसूची का परिशिष्ठ-3** परिशिष्ठ अलग से प्रेषित किये जायेंगे।**)**		**शैक्षणिक-I**
निर्णय	**अनुमोदन किया।**		
मद सं. 4	दिनांक 17.12.2014 को सम्पन्न विद्या परिषद् की 49वीं बैठक के कार्यवृत्त पर बिन्दुवार की गई कार्यवाही की अनुपालना रिपोर्ट (Action Taken Report) का अवलोकन कर अनुमोदन करना। **(कार्यसूची का परिशिष्ठ-4)**		**शैक्षणिक-I**
निर्णय	**अनुमोदन किया।**		

मद सं. 5	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पत्र क्रमांक F-6-6/2013 (SCT), Dated 31 December, 2014 के अनुसार Diploma Courses in Indian Sign Language Interpreting के लिए विभाग स्थापना/कोर्स शुरू करने पर विचार कर निर्णय करना। **(कार्यसूची का परिशिष्ठ-5)**		**शैक्षणिक-I**
निर्णय	**विश्वविद्यालय में उपलब्ध सीमित संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुए मद स्थगित किया। संसाधन उपलब्ध होने पर विचार किए जाने का निर्णय लिया।**		
मद सं. 6	विद्या परिषद् की 49वीं बैठक दिनांक 17 दिसम्बर, 2014 के मद संख्या 17 पर निम्न मद रखा गया था। उक्त मद एवं निर्णय निम्नानुसार है :-		**शैक्षणिक-II**

मद सं. 17	माननीय कुलपति महोदय के आदेश दिनांक 08.11.2014 की अनुपालना में महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर के सम्बद्धता संबंधी नियमों के सरलीकरण एवं सम्बद्धता संबंधी नियमों की एक नियमावली तैयार करने हेतु गठित समिति की बैठक दिनांक 12.12.14 को आयोजित की गई । उक्त समिति द्वारा सम्बद्धता संबंधी नियमों के सरलीकरण एवं सम्बद्धता संबंधी नियमों की एक नियमावली हेतु अध्यादेश 70-ए का प्रारूप एवं अध्यादेश 50 के तहत प्रस्तावित सम्बद्धता शुल्क तैयार किया गया जिसको माननीय कुलपति महोदय द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है। अतः अध्यादेश 70-ए का प्रारूप एवं अध्यादेश 50 के तहत प्रस्तावित सम्बद्धता शुल्क विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।
	<u>पूर्व बैठक का निर्णयः-</u> **विद्या परिषद् ने प्रस्तावित नये अध्यादेश 70-ए को इस संस्तुति के साथ स्वीकार करने की अनुशंषा की कि संबंधित प्रावधान प्रबन्ध बोर्ड में प्रस्तुत किये जाने से पूर्व निम्नांकित सदस्यों की एक समिति इस दृष्टि से इन प्रावधानों की समीक्षा कर लें कि प्रस्तावित प्रावधानों के कारण पूर्व में प्रभावी किसी अध्यादेश में संशोधन की आवश्यकता तो नहीं है यदि आवश्यकता अनुभव होती है तो तद्नुसार यह संशोधन का प्रस्ताव अपने प्रतिवेदन**

	के साथ कुलपति को प्रस्तुत करें :- **1. प्रो. जी.के. कोहली - संयोजक** **2. प्रो. लक्ष्मी ठाकुर - सदस्य** **3. प्रो. बी.पी. सारस्वत, - सदस्य** **उक्त समिति प्रबन्ध बोर्ड की आयोजित होने वाली बैठक दिनांक 23.12.2014 से पूर्व अपनी संस्तुति माननीय कुलपति महोदय को प्रस्तुत करेगी।** माननीय कुलपति महोदय ने दिनांक 27.12.2014 को आदेश प्रदान किये कि उक्त निर्णय को लम्बित रखते हुए सम्पूर्ण प्रकरण को विद्या परिषद् एवं प्रबन्ध बोर्ड के समक्ष पुनरावलोकन हेतु प्रस्तुत करें। अतः विद्या परिषद् के समक्ष मद पुनः विचारार्थ प्रस्तुत है।		
निर्णय	• **वर्तमान सम्बद्धता संबंधी समस्त अध्यादेशों/अधिसूचना की समीक्षा एवं सरलीकरण करना ।** • **पूर्व में विद्या परिषद् द्वारा गठित समिति द्वारा प्रस्तावित अध्यादेश 70-ए एवं 50 के प्रावधानों/अधिसूचना की समीक्षा करना ।** • **सम्बद्धता से संबंधित सभी प्रचलित अध्यादेशों/अधिसूचना को विलोपित करते हुए एक नया अध्यादेश बनाना ।** • **उपरोक्त सम्बद्धता संबंधी कार्यो को सम्पन्न करने के लिए निम्नलिखित समिति का गठन किया जाता है:-** **1. प्रो. गुलराज कौर कलसी -संयोजक** **2. प्रो. लक्ष्मी ठाकुर - सदस्य** **3. डॉ. शिवप्रसाद -सदस्य** **4. उपकुलसचिव- शैक्षणिक-द्वितीय -सदस्य सचिव** **उक्त समिति अपनी रिपोर्ट एक माह में माननीय कुलपति महोदय को प्रस्तुत करेगी।**		
मद सं. 7	डॉ. मनोज कुमार, विभागाध्यक्ष, प्रबन्ध अध्ययन विभाग से माननीय कुलपति महोदय एवं कुलसचिव महोदया को सम्बोधित निम्नांकित पत्रों पर विचार करना :- 1. पत्र क्रमांक 357 दिनांक 22.12.2014 **2.** पत्र दिनांक 24.12.2014 **3.** पत्र क्रमांक 364 दिनांक 03.01.2015 **4.** पृष्ठांकित पत्र क्रमांक 368-70 दिनांक 03.01.2015 **(कार्यसूची का परिशिष्ठ-6)**		**संस्थापन**

निर्णय	परिषद ने चारों पत्रों का अवलोकन करने के उपरान्त निर्णय किया कि विद्या परिषद् के माननीय सदस्यगण, बैठक से सम्बन्धित किसी भी प्रकार के बिन्दु हेतु माननीय कुलपति अथवा कुलसचिव से पत्र व्यवहार नहीं करें । प्रोफेसर मनोज कुमार के पत्र क्रमांक 357 दिनांक 22.12.2014 की भाषा और **Content** पर परिषद् के सदस्य प्रोफेसर बी.पी. सारस्वत ने यह अपत्ति दर्ज कराई की इस पत्र में विद्या परिषद् की दिनांक 17.12.2014 की बैठक के कथित विचार-विमर्श का उल्लेख करके प्रोफेसर सारस्वत के नाम से जो कुछ लिखा गया है वह मिथ्या है क्योंकि पत्र में लिखे गये **Content** जैसी कोई विचार-विमर्श/चर्चा विद्या परिषद् में नहीं हुई थी । डॉ0 मनोज कुमार द्वारा इस पत्र की प्रति विद्या परिषद् के केवल एक ही सदस्य को भेजे जाने पर भी प्रोफेसर सारस्वत ने आपत्ति दर्ज कराई। परिषद के अन्य सदस्यों ने भी उपर्युक्त चारों पत्र विद्या परिषद के सभी सदस्यों को छोड़कर केवल एक सदस्य को भेजे जाना अनुचित माना । माननीय कुलपति महोदय ने अवगत कराया कि अधिनियम में दी गई व्यवस्था के अनुसार जिस प्रकार अन्य सदस्य हैं उसी प्रकार कुलपति के नाते वे भी एक सदस्य है । विश्वविद्यालय के कार्य व्यवहार में प्राधिकरणों की गरिमा, सौहार्द्र और अनुशासन बना रहे इस दृष्टि से उक्त चारों पत्रों से सदन को अवगत कराना आवश्यक था । विद्या परिषद के अध्यक्ष के नाते उन्होंने व्यवस्था दी कि परिषद की बैठक के समय हुए विचार-विमर्श और चर्चाओं का संदर्भ देकर भविष्य में किसी भी सदस्य द्वारा बैठक समाप्ति के पश्चात् किसी भी प्रकार के पत्र व्यवहार की आवश्यकता और अपेक्षा नहीं है । माननीय कुलपति द्वारा दी गई व्यवस्था को परिषद् ने स्वीकार किया ।		
मद सं. 8	विश्वविद्यालय में Credit Frame Work for Skill Development and Choice Based Credit System लागू करने के संबंध में संस्तुति देने हेतु माननीय कुलपति महोदय के आदेशानुसार प्रो. जी. के. कोहली के संयोजकत्व में गठित समिति की अनुशंषा दिनांक 18.03.15 के कार्यवृत्त पर विचार कर निर्णय करना। **(कार्यसूची का परिशिष्ठ-7)**		**शैक्षणिक-I**
निर्णय	**विश्वविद्यालय में Credit Frame Work for Skill Development and Choice Based Credit System प्रथमतः विश्वविद्यालय परिसर में संचालित सैमेस्टर पाठ्यक्रमों मे लागू करने का निर्णय लिया।**		

मद सं. 9	राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) की अधिसूचना दिनांक 28 नवम्बर, 2014 (गजट नोटिफिकेशन दिनांक 01.12.2014) के अनुसार राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के (मान्यता, मानदण्ड और क्रियाविधि) विनियम 2014 National Council for Teacher Education (Recognition, Norms and Procedure) Regulation, 2014 के प्रावधानों को विश्वविद्यालय एवं विश्वविद्यालय से सम्बद्ध शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों हेतु अंगीकृत एवं प्रवृत्त किये जाने हेतु प्रकरण विद्या परिषद के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है। **(कार्य सूची का परिशिष्ठ-8)**		**शैक्षणिक-II**
निर्णय	**राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) की अधिसूचना दिनांक 28 नवम्बर, 2014 (गजट नोटिफिकेशन दिनांक 01.12.2014) के अनुसार राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के (मान्यता, मानदण्ड और क्रियाविधि) विनियम 2014 के प्रावधानों को विश्वविद्यालय एवं विश्वविद्यालय से सम्बद्ध शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों हेतु अंगीकृत एवं प्रवृत्त किए जाने का निर्णय लिया।**		
मद सं.10	विश्वविद्यालय में सत्र 2015-16 से स्नातक स्तर की प्रथम वर्ष की अनिवार्य हिन्दी/अंग्रेजी प्रश्नपत्र की परीक्षा ओएमआर पद्धति से कराए जाने पर विचार करना।		
निर्णय	**परिषद ने निर्णय लिया कि मोहनलाल सुखाडिया विश्वविद्यालय, उदयपुर की तरह ही इस विश्वविद्यालय में भी सत्र 2015-16 से स्नातक स्तर की प्रथम वर्ष की अनिवार्य हिन्दी/अंग्रेजी विषय के साथ अन्य सभी अनिवार्य विषय के प्रश्न-पत्र की परीक्षा बहु वैकल्पिक प्रश्न योजना (Multiple Choice Question) से कराए जाने का निर्णय लिया।**		

बैठक के अन्त में माननीय कुलपति महोदय ने परिषद के समक्ष प्रस्ताव रखा कि विश्वविद्यालय की बोर्ड ऑफ स्टडीज़ एक दिन के स्थान पर दो दिन की रखी जाए, जिससे इन बैठकों के सार्थक परिणाम सामने आ सकें। परिषद ने उक्त प्रस्ताव का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया।

कुलपति **कुलसचिव**